

पत्रांक:-भ०नि०यो०-4-206/17...../ 79 (VI)

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
झारखण्ड, पो0-हिनू, राँची।

राँची, दिनांक - 28-6-19...../

विषय :- Proposed construction of Convention Centre at Dumka कार्य की कुल लागत राशि 22,97,00,000/- (बाईस करोड संतानबे लाख रू०) पर प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

(2) Proposed construction of Convention Centre at Dumka कार्य की कुल लागत राशि 22,97,00,000/- (बाईस करोड संतानबे लाख रू०) पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

यह स्वीकृति मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची के पत्रांक-1021/अनु. दिनांक-11.09.18 द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति एवं की गई अनुशंसा के कम में दी जा रही है।

(3) विषयांकित कार्य पर व्यय का वहन व्यय शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-58-कार्यालय भवन/परिसदन भवन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य- विपत्र कोड-03S405901796580545 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(4) विषयांकित कार्य का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किया जाएगा।

(5) प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(6) प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(8) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका होंगे।

(9) राशि की निकासी दुमका कोषागार से की जायेगी।

(10) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान के अनुसार की जायेगी।


(11) लोक निर्माण संहिता की कंडिका-126 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) के संकल्प संख्या-948 दिनांक-16.07.1986 तथा संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-979 दिनांक-31.03.16 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाएगा।

(13) निविदा की कार्रवाई स्थल चयन की स्वीकृति सक्षम स्तर/समिति से प्राप्त कर ही की जायेगी।


(14) कार्य की गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उत्तरदायी होंगे।

- (15) संवेदक को GST भुगतान होगा या नहीं इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से भुगतान के पूर्व वाणिज्य-कर विभाग से मंतव्य प्राप्त कर लेंगे।
- (16) सरकारी भवन निर्माण के संरचनाओं में आवश्यकतानुसार Rain Water Harvesting, Sugamya Bharat, Solar Panel विद्युत आपूर्ति एवं Fire Fighting की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा अन्तिम भुगतान के पूर्व कराए गए कार्य का संबंधित विभाग से सत्यापन भी कराया जाएगा।


(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- भ०नि०यो०-4-206/17-79(ग)/...../राँची, दिनांक:- 28-6-19...../

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षक अभियंता, भवन अंचल, दुमका/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव कोषांग/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग एवं बजट प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।